झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
साहेबगंज जिलान्तर्गत फसल रक्षक के पद पर मानदेय के आधार पर चयन हेतु
विज्ञापन संख्या : 01/2026-27
दिनांक : 06.11.2026

1) **प्रस्तावना** :– राज्य में फसल सुरक्षा एवं पौधा संरक्षण संबंधी कार्यों को स्थानीय स्तर पर प्रभावी रूप से संचालित करने के उद्देश्य से **फसल रक्षक** के पद पर मानदेय के आधार पर चयन किया जाना हैं।

इस विज्ञापन के माध्यम से साहेबगंज जिला के विभिन्न प्रखण्डों में स्थित पौधा संरक्षण केन्दों में कार्य करने हेतु कुल **07 फसल रक्षक** का चयन मानदेय के आधार पर किया जाएगा, जिसकी विवरणी निम्नवत् हैः–

- पौधा संरक्षण केन्द्र, साहेबगंज।
- पौधा संरक्षण केन्द्र, बोरियो।
- पौधा संरक्षण केन्द्र, तालझारी।
- पौधा सरंक्षण केन्द्र, राजमहल।
- पौधा संरक्षण केन्द्र, पतना।
- पौधा संरक्षण केन्द्र, बरहेट।
- पौधा संरक्षण केन्द्र, बड़हरवा।

चयन प्रक्रिया संबंधित विभागीय आदेशों, स्वीकृत पदों, जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर तथा इस विज्ञापन में निर्धारित शर्तों के अधीन सपन्न होगी।

अभ्यर्थी इस विज्ञापन की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं तथा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन दे सकते हैं।

2) **सामान्य विवरण** :–

क्र0.सं0	पदनाम	पद की प्रकृति	नियुक्ति अवधि	मासिक मानदेय
1	फसल रक्षक	मानदेय/ पारिश्रमिक आधारित	एक वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो पहले हो	**11,851/-** रूपये मात्र

यह नियुक्ति पूर्णतः मानदेय/पारिश्रमिक आधारित है एवं इसमें भविष्य में नियमित नियुक्ति, स्थायीकरण अथवा नियमित सरकारी कर्मचारी के समान सेवा लाभ का कोई स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

3) **रिक्तियों का विवरण** :–

क्र0.सं0	कोटिवार रिक्ति			कुल रिक्ति
	अनुसूचित जनजाति	आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग	अनारक्षित	
1	3	0	4	7

नोट :–
1) रिक्तियों की संख्या प्रशासनिक आवश्यकता एवं सक्षम प्राधिकार के निर्णय के अनुसार परिवर्तित की जा सकती हैं।
2) पदों का कोटिवार विवरण साहेबगंज जिला हेतु लागू आदर्श आरक्षण रोस्टर के आधार पर हैं।

4) **अनिवार्य योग्यता** :–

(i) मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक/माध्यमिक **(10^{th})** उत्तीर्ण।
(ii) कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अन्तर्गत कृषि एवं उद्यान निदेशालय अन्तर्गत न्यूनतम **5** दिवसीय एक प्रशिक्षण प्राप्त होना अनिवार्य। साथ ही अधिक अवधि के प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को तदनुसार प्राथमिकता दी जायेगी।
(iii) स्थानीय भाषा की जानकारी।
(iv) साइकिल चलाने एवं पेड़ पर चढ़ने की दक्षता।
(v) पौधा संरक्षण केन्द्र से संबंधित प्रखण्ड के निवासी को प्राथमिकता।

5) **फसल रक्षक का कार्य** :– फसल सर्वेक्षण, कीटनाशकों का छिड़काव, कृषक प्रशिक्षण एवं जागरूकता के साथ कार्यालय द्वारा समय–समय पर आवंटित अन्य कार्य।

6) **आयु सीमा : (30 नवम्बर 2026 तक)** :– मैट्रिक अंक पत्र/प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही आयु निर्धारण हेतु स्वीकार्य होगा। आयु की गणना निर्धारित तिथि के आधार पर की जाएगी।

न्यूनतम आयु : **18** वर्ष
अधिकतम आयु सीमा :–

i	अनारक्षित **(UR)** (पुरुष)	**35** वर्ष
ii	अनारक्षित **(UR)** (महिला)	**38** वर्ष
iii	अनुसूचित जनजाति **(ST)** (पुरुष एवं महिला)	**40** वर्ष

नोट :– भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी भूतपूर्व होने संबंधित प्रमाण पत्र यथासमय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7) **चयन प्रक्रिया एवं अंक–विभाजन** :–

प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की निर्धारित पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर समीक्षा की जाएगी।

ऐसे आवेदन, जिनमें आवश्यक विवरण उपलब्ध नहीं हैं, आवश्यक प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं हैं, अनिवार्य अर्हता पूरी नहीं होती है अथवा जिनमें गलत/भ्रामक जानकारी दी गई है, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। केवल वैध एवं पात्र आवेदन वाले अभ्यर्थियों का चयन हेतु अग्रेतर मूल्यांकन किया जाएगा, जो की कुल **100** अंको के आधार पर किया जाएगा, विवरण निम्नवत है :–

क्र0. सं0	चयन घटक	मेधा सूची हेतु योग्यता विवरण	अधिकतम अंक
1	शैक्षणिक योग्यता	मैट्रिक अंक पत्र में दर्ज प्रतिशत। इंटरमीडिएट एवं स्नातक हेतु अतिरिक्त अंक।	10^{th} का **% x 0.5** = अधिकतम **50** 12^{th} का **% x 0.1** = अधिकतम **10** स्नातक का **% x 0.1** = अधिकतम **10** (अधिकतम =**70**)
2	प्रशिक्षण	न्यूनतम एक **5** दिवसीय प्रशिक्षण पश्चात अतिरिक्त प्रशिक्षण पर तदनुसार।	(प्रथम पाँच दिवसीय प्रशिक्षण = **15** पाँच दिवस के अतिरिक्त प्रति दिवस पर **1** अंक = **15** (अधिकतम = **30**)
कुल अंक			**100**

नोट :– मेधा सूची निर्धारण में पाँच दिवसीय से कम के प्रशिक्षण की गणना नहीं की जायेगी।

8) **चयन हेतु महत्वपूर्ण बिंदु** :–

(i) CGPA/ग्रेड होने की स्थिति में संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित **Conversion Formula** के अनुसार प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा।
(ii) स्नातकोत्तर अथवा उससे उच्चतर योग्यता के लिए कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिए जायेंगे।
(iii) एक ही स्तर की एक से अधिक डिग्री/योग्यता के लिए अतिरिक्त अंक नहीं दिए जायेंगे।
(iv) प्रशिक्षण अवधि की गणना प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित पूर्ण प्रशिक्षण दिवस के आधार पर की जायेगी।
(v) कृषि उद्यान निदेशालय न्यूनतम **5** दिवसीय एक प्रशिक्षण प्राप्त होना अनिवार्य होगा।
(vi) स्थानीय भाषा का ज्ञान अनिवार्य पात्रता **(Qualifying Criterion)** होगा तथा इसके लिए कोई मेरिट अंक देय नहीं होगा। प्रारम्भिक मेधा सूची तैयार होने तक अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में की गई भाषा संबंधी घोषणा सत्य मानी जाएगी। प्रारम्भिक मेधा सूची में चयन योग्य अभ्यर्थियों तथा आवश्यक संख्या में प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों द्वारा पर्याप्त भाषा–प्रमाण प्रस्तुत किया गया हो, तो कोई पृथक भाषा–परीक्षण नहीं लिया जाएगा। अन्यथा चयन समिति/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार भाषा–परीक्षण लिया जा सकेगा।
(vii) साइकिल चलाने एवं पेड़ पर चढ़ने की क्षमता :– फसल रक्षक के कार्य की प्रकृति को देखते हुए अभ्यर्थी का साईकिल चलाने एवं पेड़ पर चढ़ने में सक्षम होना आवश्यक होगा। यदि चयन समिति को आवश्यक/उचित कारणों से इन क्षमताओं की जाँच करना आवश्यक प्रतीत हो, तो प्रारूपिक मेधा सूची तैयार होने के पश्चात् इनके संबंध में व्यावहारिक परीक्षण लिया जा सकता है।

12) <u>सामान्य शर्तें एवं महत्वपूर्ण निर्देश</u> :–

1) आवेदन–पत्र के साथ सभी आवश्यक प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा अन्तिम चयन से पूर्व मूल प्रमाण–पत्रों का सत्यापन किया जाएगा।
2) चयन प्रक्रिया सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति की देख–रेख में सम्पन्न होगी।
3) किसी भी चरण पर अभ्यर्थी की पात्रता एवं प्रमाण–पत्रों की पुनः जाँच की जा सकती हैं।
4) गलत सूचना, तथ्य छिपाने अथवा फर्जी प्रमाण–पत्र पाए जाने पर चयन के बाद भी संविदा समाप्त की जा सकती है एवं अभ्यर्थी के विरूद्ध नियमानुसार कर्रवाई की जा सकती हैं।
5) निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
6) चयन सूची में नाम आ जाना नियुक्ति का स्वतः एवं अपरिवर्तनीय अधिकार नहीं देगा।
7) नियमित नियुक्ति होने, स्वीकृत पद समाप्त होने अथवा प्रशासनिक आवश्यकता होने पर संविदा समाप्त की जा सकती हैं।
8) सक्षम प्राधिकारी को प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार पदों की संख्या, कार्यस्थल/PPC आवंटन अथवा चयन प्रक्रिया के किसी चरण में आवश्यक परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
9) सक्षम प्राधिकारी को अपरिहार्य/प्रशासनिक कारणों से विज्ञापन अथवा चयन प्रक्रिया को स्थगित या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
10) ऐसे परिवर्तन अथवा रद्दीकरण के आधार पर किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति अथवा क्षतिपूर्ति का दावा नहीं होगा।
11) आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
12) चयन/परीक्षा/परिणाम/दस्तावेज सत्यापन संबंधी सूचना अधिकृत माध्यम से प्रकाशित की जाएगी।
13) अभ्यर्थी निर्धारित समय पर प्रकाशित सूचनाओं का अवलोकन करते रहे।
14) चयन के संबंध में किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा किए गए आश्वासन/दावे के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
15) चयन प्रक्रिया से संबंधित शिकायत/अभ्यावेदन निर्धारित अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकेगा।
16) फसल रक्षक को विभाग/सक्षम आधिकारी द्वारा समय–समय पर सौंपे गए कार्यों का पालन करना होगा।

❖ <u>नोट</u> :– आवदेन पत्र निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा, आवेदन करने की अन्तिम तिथि **30.11.2026** को संध्या **5** बजे तक प्राप्त किया जायेगा।

❖ <u>आवेदन हेतु पता</u> :– कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, संयुक्त कृषि भवन, साहेबगंज, पिन कोड–**816109**

5/11/26

अध्यक्ष, चयन समिति–सह–
जिला कृषि पदाधिकारी,
साहेबगंज।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
साहेबगंज जिला अन्तर्गत फसल रक्षक के पद पर मानदेय के आधार पर चयन हेतु

आवेदन पत्र

विज्ञापन संख्या : **01/2026-27**

दिनांक :/

निर्देश :– अभ्यर्थी आवेदन–पत्र के सभी कॉलम स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से भरें तथा विज्ञापन में निर्धारित आवश्यक प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करें।

पासपोर्ट आकार का हाल का स्व–अभिप्रमाणित फोटो चिपकाएँ

(I) अभ्यर्थी का विवरण :–

1 अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में) :

2. अभ्यर्थी का नाम (English में) :

3. पिता / माता / पति का नाम :

4. लिंग :–
पुरूष ☐ महिला ☐ अन्य ☐

5. जन्म तिथि :/...../.....

6. आयु (आवेदन की अन्तिम तिथि / निर्धारित कट–ऑफ तिथि के अनुसार, दिनांक **30.11.2026** तक) :–

वर्ष माह..... दिन.....

7. आधार नम्बर :

8. मोबाईल नम्बर :

9. ई–मेल (यदि उपलब्ध हो) :

10. पत्राचार का पता :
.....
.....

11. स्थायी पता :
.....
.....

(II) आरक्षण एवं स्थानीयता संबंधी विवरण :–

12. श्रेणी :–
UR ☐ **ST** ☐ **SC** ☐ **BC-I** ☐ **BC-II** ☐ **EWS** ☐

13. क्या आप आरक्षण का दावा कर रहे है :– हाँ ☐ नहीं ☐

14. स्थानीय प्रमाण–पत्र के अनुसार जिला :

15. स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र के अनुसार प्रखण्ड :

16. स्थानीय भाषा / भाषाएँ जो आप जानते हो का नाम :

17. क्या स्थानीय भाषा संबंधी प्रमाण–पत्र उपलब्ध है :– हाँ ☐ नहीं ☐

यदि हाँ, प्रमाण–पत्र का विवरण :

इस परीक्षण के लिए कोई मेरिट अंक देय नहीं होगा तथा परीक्षण में अपेक्षित क्षमता न पाए जाने पर अभ्यर्थी को अन्तिम चयन हेतु अयोग्य माना जा सकेगा।

(ix) यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण पर चयन समिति/सक्षम प्राधिकारी को अभ्यर्थियों की पात्रता, योग्यता अथवा कार्य–दक्षता के समुचित आकलन हेतु लिखित अथवा मौखिक परीक्षा/परीक्षण आवश्यक प्रतीत होता है, तो ऐसी परीक्षा/परीक्षण आयोजित किया जा सकता है।

(x) अन्तिम चयन से पूर्व चयनित/औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों के **मूल प्रमाण–पत्रों का सत्यापन** किया जाएगा।

(xi) चयनित/औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित प्रारूप अनिवार्य होगा।

(xii) अभ्यर्थी को आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित **(Self-attested)** छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य होगा :–

- मैट्रिक/माध्यमिक/**(10th)** का प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र।
- इंटरमीडिएट/**10+2** का प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र यदि उपलब्ध हो।
- स्नातक का प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र, यदि उपलब्ध हो।
- न्यूनतम **5** दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र एवं अतिरिक्त प्रशिक्षण–पत्र, यदि कोई हो।
- स्थानीय भाषा संबंधी प्रमाण–पत्र, यदि उपलब्ध हो।
- सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध स्थानीय प्रमाण–पत्र।
- जाति प्रमाण–पत्र, जहाँ लागू हो।
- जन्मतिथि के प्रमाण हेतु मैट्रिक प्रमाण–पत्र।
- पहचान–पत्र।
- अन्य कोई प्रमाण–पत्र, जो विज्ञापन/सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो।

आवेदन–पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न नहीं किए जाने पर आवेदन अपूर्ण माना जायेगा। मूल प्रमाण–पत्रों का सत्यापन बाद में निर्धारित तिथि पर किया जाएगा।

9) <u>मेधा सूची एवं समान अंक होने पर प्राथमिकता निर्धारण (Tie-Breaking)</u> :– यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के कुल अंक समान हो, तो निम्न क्रम में अन्तर–मेधा निर्धारित की जाएगी :–

(i) मैट्रिक में अधिक अंक/प्रतिशत।
(ii) वैध स्थानीय भाषा दक्षता प्रमाण–पत्र।
(iii) इंटरमीडिएट में अधिक अंक/प्रतिशत।
(iv) स्नातक में अधिक अंक/प्रतिशत।
(v) अधिक आयु।

10) <u>चयन एवं योगदान</u> :– कोटिवार मेधा सूची लागू आरक्षण नियमों के अनुसार तैयार की जाएगी एवं अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची निर्धारित स्थल पर प्रकाशित की जायेगी। योगदान केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन ही स्वीकार किया जाएगा तथा निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने पर चयन/अभ्यर्थिता स्वतः समाप्त हो जायेगी एवं रिक्ति को प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा।

पौधा संरक्षण केन्द्र/प्रखण्ड के आवंटन हेतु अभ्यर्थी के स्थानीय संबंधित प्रमाण–पत्र में अंकित निवासी प्रखण्ड को प्राथमिकता एवं अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र में भरी गयी प्राथमिकताओं के आधार पर आवंटन किया जाएगा परन्तु इस हेतु अन्तिम निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत किया जा सकेगा एवं भविष्य में आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकेगा।

11) <u>स्थानीय निवासी एवं आरक्षण</u> :– सभी अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत वैध स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित जाति/कोटि का सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत वैध प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(III) शैक्षणिक योग्यता :–

परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड / विश्वविद्यालय	प्राप्त अंक	कुल अंक	प्रतिशत
मैट्रिक / 10वीं					
इंटरमीडिएट / 10+2					
स्नातक					

(IV) प्रशिक्षण का विवरण :–

क्या कृषि एवं उद्यान निदेशालय / विज्ञापन में निर्धारित संस्थान से न्यूनतम **5** दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त है :
हाँ ☐ नहीं ☐

क्र0. सं0	प्रशिक्षण का विवरण	अवधि (पूर्ण दिवस)	प्रशिक्षण संस्था	प्रमाण–पत्र संख्या / दिनांक
1.	अनिवार्य प्रशिक्षण (पाँच दिवसीय)			
2.	अतिरिक्त प्रशिक्षण, यदि कोई हो			
3.	अतिरिक्त प्रशिक्षण, यदि कोई हो			
4.	अतिरिक्त प्रशिक्षण, यदि कोई हो			
5.	अतिरिक्त प्रशिक्षण, यदि कोई हो			

(V) अन्य आवश्यक जानकारी :–

क्या आप साइकिल चलाने में सक्षम है : हाँ ☐ नहीं ☐

क्या आप पेड़ चढ़ने में सक्षम है : हाँ ☐ नहीं ☐

(VI) वांछित कार्यस्थल / प्रखण्ड की प्राथमिकता :–

- **पदस्थापन हेतु प्राथमिकता (प्रखण्ड का नाम) :–**

1. 2. 3.

नोट :– कार्यस्थल / प्रखण्ड का आवंटन विज्ञापन में निर्धारित प्रावधानों, उपलब्ध रिक्ति, आरक्षण, मेधा क्रम, स्थानीयता एवं प्रशासनिक एवं प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा दी गई प्राथमिकता को अन्तिम अधिकार नही माना जाएगा।

(VII) संलग्न प्रमाण–पत्रों की सूची (छायाप्रति) :–

➢ अभ्यर्थी द्वारा संलग्न प्रमाण–पत्रों के सामने **सही का निशान** लगाएँ :–

1. मैट्रिक / **10**वीं प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र :– ☐
2. इंटरमीडिएट / **10+2** प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र :– ☐
3. स्नातक प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र :– ☐
4. न्यूनतम **5** दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र :– ☐
5. अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र, यदि कोई हो :– ☐
6. स्थानीय भाषा संबंधी प्रमाण–पत्र, यदि उपलबध हो :– ☐
7. वैध स्थानीय प्रमाण–पत्र :– ☐
8. जाति प्रमाण–पत्र, जहाँ लागू हो :– ☐

9. स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र :– ☐

10. पहचान–पत्र की प्रति (आधार कार्ड) :– ☐

अन्य पहचान–पत्र, यदि कोई हो :–

चरित्र/आचरण प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक नहीं है, परन्तु अन्तिम चयन/दस्तावेज सत्यापन/योगदान के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(VIII) घोषणा :– मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन–पत्र में मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र/दस्तावेज वास्तविक एवं वैध हैं। यदि आवेदन में दी गई कोई जानकारी गलत, भ्रामक अथवा तथ्य छिपाने वाली पायी जाती है अथवा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र फर्जी/अमान्य पाया जाता है, तो मेरी अभ्यर्थिता/चयन/संविदा सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार समाप्त/रद्द की जा सकती है।

मैं फसल रक्षक पद हेतु विज्ञापन में निर्धारित सभी शर्तों एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया प्रावधानों एवं शर्तों को स्वीकार करता/करती हूँ।

स्थान :

दिनांक :

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर :

अभ्यर्थी का नाम :

अभ्यर्थी का पूर्ण पता :

.....

.....

.....